बिहार सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

संकल्प

संख्या– वन पर्या0 {1}4/92–4470E/व0प0 पटना-15, दिनांक 25-3-1992 31

राज्य के खतरनाक {रसायनिक/अरसायनिक} औद्योगिक इकाइयों से या वैसे परिसंकटमय पदार्थों के भंडारण, परिवहन या परिसंकटमय वेस्टस का डिस्पोजल से, संभावित विपदा प्रबंधन हेतु मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य विपदा प्रबंधन समन्वय समिति अंतर्गत {पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अन्तर्गत परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989, कारखाना अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अन्य अधिनियमान्तर्गत} राज्य के सभी जिलों के लिये "जिला विपदा प्रबंधन समितियाँ" गठित की जाती है।

2– जिला स्तरीय विपदा प्रबंधन समिति की संरचना निम्न होगी –

{1} संबंधित जिला आपात प्राधिकरण {जिला पदाधिकारी}	–	अध्यक्ष
{2} सम्बन्धित उप मुख्य कारखाना निरीक्षक	–	संयोजक
{3} नोडल डिपार्टमेंट {पर्यावरण विभाग} के संबंधित उप परामर्शी, पर्यावरण	–	सदस्य
{4} संबंधित जोनल आफिसर या संबंधित पर्यावरण अभियंता, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद –	–	सदस्य
{5} संबंधित आरक्षी अधीक्षक	–	सदस्य
{6} संबंधित जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी	–	सदस्य
{7} संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक	–	सदस्य
{8} संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत जिलाअन्तर्गत लीड इण्डस्ट्री के एक प्रतिनिधि –	–	सदस्य
{9} संबंधित कारखाना निरीक्षक	–	सदस्य
{10} संबंधित कलक्टर द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ {एक} –	–	सदस्य

3– संबंधित जिला पदाधिकारी अपने अधिनस्थ कंट्रोल रूम {नियंत्रण कक्ष} को अविलम्ब सुदृढ़ करवायें। संबंधित औद्योगिक इकाई का ऑफ-साईट मैनेजमेंट प्लान, कमान्ड स्ट्रक्चर तथा आवश्यक आधारभूत सुविधा का ब्योरा, जिनका विपदा होने पर उपयोग किया जायेगा, नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध रखें।

4– नियमत: संबंधित "ऑन-साईट प्लान" तैयार करने की जिम्मेवा...

.....क्रमश:

कारखाना का और सम्पुष्टि करने की जिम्मेवारी कारखाना निरीक्षालय का है। परन्तु कारखाना के बाहर भंडारण का आन साइट प्लान का अनुमोदन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा की जायेगी। इस श्रेणी में कूकिंग गैस सिलिन्डर का भंडारण भी आयेगा। पर्षद अपने दायित्व के निर्वहन हेतु एक समिति गठित करेगा जिसके अध्यक्ष और संयोजक क्रमशः सदस्य सचिव और जोनल आफिसर होगें। उप परामर्शी पर्यावरण वन एवं पर्यावरण नोडल डिपार्टमेन्ट के प्रतिनिधि होगें।

5- नियमतः आफ साइट प्लान तैयार करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित जिला कलक्टर का है।

6- नये कारखानो को उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व और चालू कारखानों आदि को नियमतः उपर्युक्त कंडिका 4 में अंकित कारवाई पूरी कर लेनी है।

7- उपर्युक्त समितियां अपने क्षेत्रान्तर्गत खतरनाक औद्योगिक इकाईयों के विपदा प्रबंधन एवं रिसाव नियंत्रण से सम्बन्धित अन्य सभी कार्रवाई करेगी।

8- उपर्युक्त समितियों की गयी कार्रवाई से राज्य सरकार द्वारा घोषित "नोडल डिपार्टमेंट" (यथा पर्यावरण विभाग, बिहार) को समय-समय पर अवगत कराती रहेगी और मार्ग दर्शन प्राप्त करेगी।

9- उपर्युक्त समितियों के सदस्यों का यात्रा भत्ता आदि उनके स्थापना मद से विकलनीय होगा।

10- उपर्युक्त समितियों के गठन संबंधी प्रस्ताव में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

11- राज्य सरकार (वन एवं पर्यावरण विभाग) का संकल्प संख्या वन/पर्या0 35/87-35/व0प0, पटना 15, दिनांक 4-1-1988 को इस संकल्प निर्गत की तिथि से निरस्त समझा जाय।

2- आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभाग/सभी संबंधित जिलाधीश/संबंधित सदस्यों एवं महालेखाकार, बिहार को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/- के0एस0एच0 सुब्रमणियन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक वन पर्या0 (1)4/1992-470E/व0प0 पटना 15, दिनांक 25-3-1992 ई.

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

.......3/-

2- अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 मुद्रित गजट प्रतियाँ 7-4-92 के पूर्व वन एवं पर्यावरण विभाग, पटना को भेजने की कृपा की जाय ।

ह0/-

(के0ए0एच0 सुब्रमण्यिन)
सरकार के सचिव ।

अशोक

ज्ञापांक वन पर्या0 (1)4/1992-470F/व0प0 पटना 15, दिनांक 25-3-1992 ई.
31

प्रतिलिपि- सचिव, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, बिहार विधान सभा/पर्षद सचिवालय, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना/सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के0ए0एच0 सुब्रमण्यिन)
सरकार के सचिव ।